MESSAGE FROM THE LOK SABHA

The Election Laws (Amendment) Bill, 1975

SECRETARY-GENERAL : Sir, I have to report to the House the following message received from the Lok Sabha signed by the Secretary-General of the Lok Sabha. :

"In accordance with the provisions of Rule 96 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha, I am directed to enclose herewith the Election Laws (Amendment) Bill, 1975, as passed by Lok Sabha at its sitting held on the 5th August, 1975."

Sir, I lay the Bill on the Table.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. B. RAJU) : The House stands adjourned till 2.30 P.M.

The House then adjourned for lunch at one of the clock.

The House reassembled after lunch at thirty-two minutes past two of the clock, **The Vice-Chairman, Shrimati Purabi Mukhopadhyay**, in the Chair.

BILL, 1974—*Contd.*

THE PARLIAMENT (PREVENTION OF DISQUALIFICATION) AMENDMENT

SHRI KHURSHED ALAM KHAN (Delhi) : Madam, I rise to support the Bill. The present position of declaring an office to be an office of profit is rather anomalous. There should be no discrimination. I must say the suggestion which I made yesterday regarding the office of profit in respect of people belonging to various universities was a very innocent one, but I am sorry to note that my very eminent educationist friends have expressed their displeasure in very subtle language. Still I stand by what I said. It is really surprising that a person who was nominated on the Committee of Delhi Transport Corporation and getting Rs. 20 as the fee for attending the meeting had to resign because that was declared to be an office of profit and yet other people continue to be in the House. Besides, I am unable to understand, while the office of Vice-Chancellor is considered to be an office of profit, the post of Pro-Vice-Chancellor is not considered to be an office of profit. These are some of the anomalies which have to be removed. If the Pro-Vice-Chancellor can be a Member of the House, there should be no bar on the Vice-Chancellor being a Member of the House. Madam, I feel the public sector undertakings have to play a very important role in the economy of this country, particularly in view of the changed circumstances. When we are at threshold of a new era, an era of new hope and self-reliance, surely it is necessary we should take advantage of the experience and knowledge of Members of Parliament and we should closely associate them with the working of public sector undertakings whether owned or financed by the Government of India or by any State Government. Members of Parliament, with all their responsibility and with their experience of the mood of the nation and of the thinking of the Government, will be in a better position to make a valuable contribution in advising, directing and guiding the public sector undertakings and their managing boards. Our public sector undertakings are definitely looking up and are making profits, and naturally this is the most opportune time for the Members of Parliament to be closely associated with them and their working. Another advantage is that the Parliamentary Committees which very often examine the working of the public sector undertakings will also find their work easier and more purposeful if Members of Parliament are associated in the top management, I mean, in the board of directors or in the managing committees. Besides, Members of Parliament will also have the experience of the working of these undertakings, as today it is very easy to criticise the working of the public sector undertakings without really knowing their working difficulties.

In this connection, I would like to say that the public sector undertakings unfortunately do not have all the advantages

[Shri Khurshed Alam Khan]

of the private companies and at the same time they also do not have the advantages of departmental working. In fact, they have inherited the difficulties of both. Therefore, close association of the Members of Parliament with the working of the public sector undertakings will be in the interests of the working of the public sector undertakings themselves and of the nation.

The recently announced 20-Point Economic Programme is a very important landmark in our national life. Naturally, the public sector will have to make a very important contribution for the success of this programme and for achieving the targets that have been fixed or that may be fixed under this programme. Now, if we exclude the Members of Parliament from giving a helping hand in shaping our future and destiny through these public sector undertakings, it will not be a good thing for the national life and the economic life. When we want the involvement of the people in the implementation of this 20-Point Economic Programme, I do not understand as to why we should hesitate to involve the representatives of the people directly by associating them with the working of the public sector undertakings so that they can give of their best, and they can guide the working of these undertakings in the interests of the economy of the nation.

As regards the Schedules in the Bill, surely they are not the last word. And in fact I would say that they are also not the gospel truth. But let us give a fair trial and, if necessary, the whole thing can be reviewed from time to time as and when it is felt essential. But surely these Schedules need recasting, and I am sure the hon. Minister will make a special note of the opinions expressed by a number of Speakers before me in respect of these schedules. I think it would be possible for the hon. Minister to introduce a more comprehensive Bill shortly in the light of the working experience gained and in the light of what has been expressed by a number of Members on this subject in the House.

Madam, we have to keep pace with time and meet the demands of the hour. Petty considerations should not come in the way of greater objectives. This being so, I suppose we must depart from the old policy and should take bold steps in reshaping our destiny, in reshaping our future, in reshaping the future of our people. This can best be done if we associate our selected representatives in the working of public sector undertakings which have to play, as I said a very, very important role in the economic life of the country and in building up our future.

With these words I support the Bill once again.

श्री हर्षदेव मालवीय (उत्तर प्रदेश) · माननीया उप-सभापति जी, मै इस बिल के विषय में उन आलोचनाओं के साथ जो माननीय श्री मनुभाई शाह ने और माननीय चौधरी रणवीर सिह ने कहा, उसके साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं ।

मुझे इस बिल मे केवल एक शिकायत है । शिकायत यह है कि इसके पीछे वह मनोवृत्ति, वह फिलासाफी, वह दर्शन जो हमारी सरकार का है, हमारी राष्ट्रीय नीति का जो दर्शन है उसको यह नजरअन्दाज करता है । मूल मंत्र हमारा यह है कि हम चाहते है कि उत्तरोत्तर इस देश के अन्दर जो आर्थिक संस्थान है, जो उत्पादन संस्थान है उन पर जनता का अधिकार हो । इस देश मे जब हम स्वतंत्र हुए तो यहां कोई औद्योगिक विकास नहीं था । यहा अंग्रेजी साम्राज्य ने अपने मतलब के मुताबिक कुछ कारखाने बनने की इजाजत दी। उनकी फौजे इस तरफ थी तो स्वेज नहर के इस पार फौजो को कपड़ा देने के लिए कुछ टैक्सटाइल्स की जरूरत थी तो कुछ टैक्सटाइल मिलें उन्होंने बनवा दी । कुछ जूट मिले बंगाल प्रदेश में खुलवा दी, कुछ रेलवे वर्कशाप्स बनवा दी सारे हिन्दुस्तान में फौज भेजनी थी लोगो को दबाने के लिए रेले बनायीं । टाटा जी के पास एक जमशेदपुर मे एक लोहे का कारखाना खुलवा दिया । अब जो भारतीय उद्योगपति थे, इन्होंने मुनाफा कमाया । मनुभाई शाह ने यह बात बड़ी अच्छी तरह बताई

कि कोई भारतीय पूंजीपति रिस्क नहीं लेना चाहता था। वह बेतहाशा मुनाफा कमाते थे। हिन्दुस्तान का पूंजीपति मुनाफाखोर, नान-रिस्क टेकिंग था। पश्चिम का, फ्रांस का पूंजीपति बड़ी हिम्मत करने वाला था, अमरीका का पूंजीपति बड़ा हिम्मत करने वाला था, खतरा उठाना था और सामन्तवादियों से लड़ा। फ्रांस मे उसने सामन्ती राजा की गर्दन काट दी। लेकिन हमारे जो पूंजीपति थे, बिड़ला जी, टाटा जी, ढिमकना जी, इनका काम था मुनाफा कमाना। इन्होंने कोई रिस्क नही लिया। इसलिए जिस समय भारत स्वतंत्र हुआ उस समय रेलवे को छोड़कर जो सरकारी अन्डरटेकिंग्ज भारत के अन्दर थी उनमें केवल 46 करोड़ रुपये का इंवेस्टमेंट था। भारतीय पूंजीपतियो ने हिन्दुस्तान का कोई औद्योगिक विकास किया ही नहीं।

यह हमारे महान नेता पंडित जवाहरलाल नेहरू की दूरदृष्टि थी कि उन्होंने देश के अन्दर जितने कुंजी उद्योग, की इंडस्ट्रीज है, पब्लिक सैक्टर में शुरू किये।

जनसंघ किस्म के प्रतिक्रियावादी लोग कहते थे कि जवाहरलाल तो पागल हो गये है जो कारखाने बनवा रहे हैं और खेती की तरफ ध्यान नही देते। जवाहरलाल जी ने दूर-दृष्टि से काम किया और देश के अन्दर इस्पात के कारखाने लगवाये और देश तरक्की की ओर बढ़ता चला गया। आज स्थिति हमारे देश की यह हो गई है कि पब्लिक सैक्टर में, राजकीय उद्योग में जो पैसा लगा हुआ है, व्यक्तिगत पूंजीपतियों का जो धन है वह उससे ज्यादा हो गया है और धीरे-धीरे, शनैः शनैः प्रजातान्त्रिक तरीके से, शान्तिपूर्ण तरीके से हम वह स्थिति अपने देश मे लाना चाहते है जिसके अन्दर राजकीय क्षेत्र में जो पब्लिक सैक्टर की पूंजी है, जनता की पूंजी है वह ऊपर आ जायेगी और व्यक्तिगत पूंजी नीचे चली जायेगी और कुछ दिनो के बाद हम मिक्स्ड इकोनोमी खत्म कर देंगे और देश के अन्दर पूरी तरह समाजवाद ला देंगे। यह हमारी फिलोसफी है।

इस पृष्ठभूमि में देखते हुए, इसकी बैकग्राउन्ड में देखते हुए मेरी समझ में नही आता कि एयर इंडिया कारपोरेशन में आप यहां के मेम्बर को भेज सकते है, कमेटी टू अडवाइस ग्रौन प्रोब्लम्स कंसर्निंग पैट्रोलियम प्रोडैक्ट्स, डैवलैपमेंट्स कौंसिल फार ओटोमोबाइल्स इत्यादि में पार्लियामेंट का मेम्बर रह सकता है डेवलैपमेंट कौंसिल फार नोन फैरस मैटल्स में पार्लियामेंट का मेम्बर रह सकता है, मगर कमाल यह है कि जो फिल्म फाइनेंस कारपोरेशन है, मनुभाई शाह जी ने भी इसकी चर्चा की है, या कुंज उद्योग हैवी इलैक्ट्रीकल्स लिमिटेड, है, इसमें पार्लियामेंट का मेम्बर नही रह सकता है। इसमें हम रहेंगे तो खराबी आ जायेगी। बोर्ड आफ डायरेक्टर्स आफ दी हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड है और यह जो पूरी लिस्ट मे दिया हुआ है हिन्दुस्तान एन्टीबाइटिक्स, नेशनल इंडस्ट्रियल डैवलेपमेंट कारपोरेशन, नेशनल रिसर्च डैवलैपमेंट कारपोरेशन, नेशनल टैक्सटाइल्स कारपोरेशन लिमिटेड, इन में पार्लियामेंट का मेम्बर नही रह सकता है।

महोदया आप भी पब्लिक अंडरटेकिंग कारपोरेशन की सदस्या रही थीं। आपने देखा कि जो हम जनता के प्रतिनिधि/प्रतिनिधियो मे बैठकर नेशनल टेक्सटाइल कारपोरेशन और नेशनल सीड्स कारपोरेशन और कोटन कारपोरेशन की जो जांच की तो हमने कितनी खराबियां निकाली।

SHRI BRAHMANANDA PANDA (Orissa) : What is the logic behind this discrimination ?

श्री हर्षदेव मालवीय : मै आपको एक उदाहरण देना चाहता हू। उदाहरण रूस का है इसलिये घबराने की बात नही है। ख्रुश्चेव और स्टालिन की कहानी है।

एक माननीय सदस्य कहानी है या फैक्ट है ?

श्री हर्ष देव मालवीय यह एक वाकया है। हिस्टोरिकल फैक्ट है। ख्रुश्चेव खदान का मजदूर था। वह कोयला खोदता था। वह बाद में मास्को में कम्युनिस्ट पार्टी का सैक्रेटरी हो गया। एक बडी मजेदार बात है कि उस जमाने में एक मोटर टायर फैक्टरी के टायर जिस मोटर गाडी में लगते थे वे कुछ दूर चलने के बाद बर्स्ट हो जाते थे। इससे स्टालिन बड़ा चिन्तित था।

[श्री हर्षदेव मालवीय]

उसको यह शंका हुई कि इसमें कही सैबोटाज हो रहा है। जो 200-250 मील चलने के बाद टायर बर्स्ट हो जाते हैं। इसकी जांच ख्रुश्चेव के जिम्मे डाल दी। स्टालिन ने उसको बताया कि फलाना कारखाना है मास्को से कुछ दूरी पर। वहा जाकर इस चीज का पता लगाओ कि ये टायर बर्स्ट क्यो होते है ? ख्रुश्चेव अब बहुत घबराया। उसने सोचा कि अगर मैं नही करूंगा तो मुझे गोली मार दी जायेगी। लेकिन वह पालिटिक्स में रहा था, सियासत जानता था। वह कारखाने में गया और जाकर जांच करनी शुरू की। जांच करने के बाद उसने पाया कि टायर में ऐसी क्या चीज है जिससे टायर बर्स्ट होते है। पूरा कारखाना घूम डाला। फिर उसने टायर के उस अमरीकन पेटैन्ट को लेकर उसकी एक-एक प्रोसेस को समझा। वह एक कोने से शुरू करता हुआ आखिर के कोने तक खोज करता चला गया। एक स्थान पर उसने पाया कि कम्युनिस्टो ने किसी स्टेज पर सिलाई करने के एक प्रोसेस को स्किप कर दिया। इस की वजह से उसमे कमजोरी आ गई। इसका नतीजा यह हुआ कि 200-250 मील चलने के बाद टायर बर्स्ट होता है। इस चीज का पता लगने के बाद यह चीज दूर कर दी गई। ख्रुश्चेव जनता का प्रतिनिधि था इंजीनियर नही था। स्टालिन ने इसके बाद उस कारखाने के मैनेजर को डिप्टी मिनिस्टर इंडस्ट्री बना दिया।

मैं यह कहना चाहता हूं कि जो राजनीतिज्ञ, जो कांग्रेसी देश के सिपाही है जिन्होने देश के लिये त्याग किया है, जो देश की राजनीति को समझते है, जो बात ब्यूरोक्रेसी नही समझती, ऐसे पार्लियामेंट के सदस्य जिनकी संख्या सात सौ से भी अधिक है और जो हमारे देश की जनता के प्रति जिम्मेदार हैं और जिनको इस देश की 60 करोड जनता चुन कर भेजती है उनको इन सस्थाओं में हिस्सा लेने से इंकार कर दिया जाये, यह किसी भी दृष्टि से उचित नही है। इन सदस्यों को हमारे देश की जनता का विश्वास प्राप्त होता है। हमारे देश की चुनाव प्रणाली चाहे कितनी ही इसकी शिकायत की जाय, बहुत ही सच्ची और सही चुनाव प्रणाली है। दुनिया भर के लोग इसका लोहा मानते हैं। यह एक ईमानदार चुनाव-प्रणाली है। लोक सभा के अन्दर डायरेक्टली चुनाव लड़कर सदस्य आते है और राज्य सभा में इनडायरेक्टली चुनाव के माध्यम से सदस्य आते है। यहा पर सभी लोग जनता के प्रतिनिधि होते है और जनता के सेवक की हैसियत से अपना काम करते हैं। जनता का विश्वास इन लोगों को प्राप्त होता है। लेकिन जनता के इन प्रतिनिधियो को, विधेयक के शैड्यूल 2 मे जिन सस्थाओं के नाम दिये गये हैं उनका सदस्य होने के नाकाबिल बना दिया गया है।

इस प्रकार का प्रावधान मेरी समझ में नहीं आता है। मैं समझता हू कि इसके अन्दर कोई सियासी विचार नही है। इसमें कोई पोलेटिक्स का ज्ञान नही मालूम पड़ता है। इस प्रकार के बिल के पीछे ब्यूरोक्रेसी का दिमाग मालूम पड़ता है। नौकरशाही का जो तरीका होता है वही इसमें प्रतिबिम्बित होता है। आप जानते है कि नौकरशाही किसी भी संस्था को बेहतर नहीं बना सकती है। जितनी भी हमारी पब्लिक अन्डरटेकिंग कमेटीज की रिपोर्टस है या पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी की रिपोर्टस हैं, उनको अगर आप देखेगे तो आपको पता चलेगा कि इनके अन्दर कितनी गडबड़ियां थी। ऐसी हालत में अगर इस प्रकार की संस्थाओं मे पार्लियामेंट के सदस्य होगे तो वे गलतियों को पाइन्ट आउट कर सकते है, उनको सामने ला सकते हैं।

यह ठीक है, अभी श्री मनुभाई शाह जी ने कहा, पार्लियामेंट के सदस्य कोई दूध के धुले हुए नहीं होते है, वे भी गलती कर सकते है, लेकिन बाई एण्ड लार्ज, अधिकांशत: पार्लियामेंट के सदस्यों की ईमानदारी पर संदेह नहीं किया जा सकता है। आप देखिए कि 'जूरी फार जवाहरलाल नेहरू एवार्ड फार इन्टरनेशनल अन्डरस्टेंडिंग' मे भी पार्लियामेंट का सदस्य नहीं हो सकता है। यह क्या मजाक है ? श्री

जवाहरलाल नेहरू जी को हम ज्यादा समझते हैं या वे लोग ज्यादा समझते है ? जिन लोगों ने जवाहरलाल जी के साथ काम किया, जिन्होंने उनसे शिक्षा प्राप्त की, उनसे ज्यादा उनको और कौन जान सकता है ? यह बात मेरी समझ मे नही आई कि जिन लोगों ने नेहरू जी से शिक्षा ग्रहण की और उनकी छत्रछाया में बड़े हुए उनको इस एवार्ड कमेटी में नही रखा जा सकता है और वे इसके लायक नही समझे गये है । इतने लोग यहां पर बैठे हुए है, वे इसके लायक नहीं हैं । मैं समझता हू कि वे सब बेमतलब की बाते है । जिन लोगो ने जवाहरलाल जी की कोई किताब नही पढ़ी, वे लोग तो उसके मेम्बर हो सकते हैं, लेकिन हम नही हो सकते हैं।

अब आप फूड कारपोरेशन का ही मामला लीजिये । वहा पर किस प्रकार की गड़बड़ चलती है, यह हम सब लोगों को मालूम है । अगर वहां पर कोई संसद् के सदस्य होगे तो कारपोरेशन के कर्मचारी और अधिकारी सजग रहेंगे और अगर वे किसी तरह की कोई गड़बड़ करेगे तो उन्हें इस बात का डर रहेगा कि यहां पर संसद् के सदस्य भी हैं । मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी हमारी इन भावनाओं को सरकार तक पहुंचा दें और इस बिल को फिलहाल के लिये रोक दिया जाए। मैं तो कहता हू कि यह सारा शेड्यूल ही खत्म कर दिया जाय और शेड्यूल (1) में मिला दिया जाय । आप यह देख रहे हैं कि जितने भी सदस्य इस बिल पर बोले हैं वे सब इस विधेयक से असन्तुष्ट है । माननीय, आप भी पब्लिक अन्डरटेकिंग कमेटी मे रह चुकी हैं और आप जानती है कि नेशनल टैक्सटाइल कारपोरेशन में क्या हालत थी और उसमें कितनी गड़बड़िया थी । उसके अन्तर्गत 132 मिले है । मैं किसी का नाम नही लेना चाहता, लेकिन यह कहना चाहता हूं कि वहा पर कुछ आफिसर बहुत अच्छे हैं, जैसे श्री श्रीनिवासन हैं या दो चार और अधिकारी हैं, जो बहुत अच्छा काम करते है, लेकिन वे जनता के प्रतिनिधि नही है । इसका नतीजा यह है कि वह संस्था इस गोईंग बैड टू वर्स । इसी तरह से प्राग टूल्स कारपोरेशन है या स्टेट ट्रैडिंग कारपोरेशन हैं या सीमेन्ट कारपोरेशन है, इन सब के बारे मे काफी बाते कही जा चुकी हैं । अन्त मे मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि आप इन बातो से सहमत हों या असहमत हो, आज हमारे देश की जो स्थिति है और आज जिस प्रकार की आपतकालीन स्थिति हमारे देश मे लागू हैं उसके अन्दर पोलेटिक्स इज इन कमान्ड यानी पोलेटिक्स प्रमुख है। हमारी नेता प्रधान मन्त्री श्रीमती इंदिरा गांधी की यह महानता और दूर-दृष्टि है कि उन्होंने हिम्मत करके सब गड़बड़ियो को दूर कर दिया है । "पोलिटिक्स इज इन कमान्ड" यह बात जो सही है तो मतलब यह है कि पब्लिक सैक्टर में, राजकीय क्षेत्र मे भी कमान्ड होना चाहिये । अगर यह बात सब के समझ में आ जायेगी, तो आप विश्वास मानिये, फिर यह शिड्यूल्ड वन और टू, बेकार की बात है। अगर संसद् सदस्य एयर इंडिया, इंडियन एयर लाइन्स के लायक है, उसको एडवाइस देने लायक है, लाइफइंश्योरेंस के बोर्ड मे जाने लायक है, तो जो बेसिक इंडस्ट्रीज है जैसे हैवी इलैक्ट्रिकल्स भोपाल है, हैवी इंजीनियरिंग रांची है, क्या उसके बोर्ड में वह नही जा सकता है ? जब श्री केशव देव मालवीय जी एम० पी० नही थे, तो वे हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन के चेयरमैन हो गये थे और छः महीने के अन्दर उन्होंने उसकी हालत बदल दी थी । हिन्दुस्तान टाइम्स जैसे दैनिक ने भी जो उसका सदा आलोचक था, उनकी तारीफ की थी । जब उनको हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन से इस्तीफा देकर फूलपुर की सीट के लिये जो श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित के कारण खाली हो गई थी, लोक सभा की मेम्बरशिप के लिये चुनाव लड़ना पड़ा, तो उस समय हिन्दुस्तान टाइम्स ने बड़ी आलोचना की थी कि एक आदमी जिसने लाखो करोड़ों की कीमत वाले कारखाने की हालत संभाल दी, उसको इस जगह से क्यों हटाया जा रहा है । वह इस संस्था को इसलिये सम्भाल सके थे क्योंकि उनकी एक प्रापर फिलासफी थी और एक प्रापर दृष्टिकोण था । इसलिये इन सब बातों को ख्याल में रखते हुए मैं पुनः माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वे हम लोगों की भावना को समझें और इसको आप कृपा करके सरकार को

[श्री हर्षदेव मालवीय]

बतलायें । हमारी तो सलाह यह है कि आप फिलहाल इस बिल को वापस ले लें । आप इस समय इस तरह का कानून न बनायें । इस पर फिर से विचार कर लें क्योंकि अभी समय बहुत । इसमें जल्दी नही है और न ही कोई आपत्ति ही आई है । (*Interruptions*)

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI PURABI MUKHOPADHYAY) : There are too many promptings for you.

SHRI HARSH DEO MALAVIYA : What to do, Madam? . . . (*Interruptions*).

मैं अब अपना भाषण समाप्त करता हूं और आप के द्वारा माननीय मंत्री जी से फिर निवेदन करना चाहता हू कि वे फिलहाल इस बिल को वापस ले ले और इस पर पुन विचार करे।

श्री कल्प नाथ (उत्तर प्रदेश) : आदरणीय उपाध्यक्ष महोदया, मैं इस बिल का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मुझे यह निवेदन करना है कि जिस समय देश आजाद हुआ और आजादी के बाद हमारे देश के राष्ट्रीय नेताओं ने अपने मुल्क के अन्दर जिस समय से संविधान का निर्माण किया था, उस समय उन्हें इग्लेंड और अमेरिका से प्रेरणा मिली थी । उन जनतंत्रीय देशों के संविधान में यह बात लिखी हुई थी कि पार्लियामेंट का मेम्बर पब्लिक अन्डर-टेकिंग्स का इसलिए मेम्बर नही होगा क्योंकि इसमें प्राफिट की सम्भावना है । लेकिन हमारे देश के नेताओं ने जहां जनतंत्रीय देशों से यानी इंग्लैंड और अमेरिका से प्रेरणा ली थी, वहां दूसरी तरफ समाजवादी मुल्कों द्वारा रिकंस्ट्रक्शन की प्रेरणा भी हमने ली थी। जहां और मुल्कों में आर्थिक आजादी के बाद राजनीतिक आजादी आई, वहां हिन्दुस्तान में 1947 में राजनीतिक आजादी आई और 1947 के बाद हिन्दुस्तान के करोड़ों लोगों को ताकतवर बनाने के लिए, आर्थिक आजादी लाने के लिए प्लान्ड इकौनोमी को प्राथमिकता दी गई और इस तरह से देश को एक राजनीतिक दर्शन दिया गया ।

3 P.M.

हमारे देश की प्रधान मंत्री ने, हमारे देश के नेताओ ने देश का आब्जेक्टिव समाजवाद घोषित किया है, हम समाजवाद के तरीके पर अपने कदम बढ़ायेंगे और अपने मुल्क मे जीवन की आवश्यक वस्तुओं का इतना उत्पादन करेंगे कि जनता के बीच उनका समुचित वितरण हो सके ।

आज इस बिल के अन्दर क्या है । मेम्बर पार्लियामेंट किसी पब्लिक अडरटेकिंग का डायरेक्टर नही हो सकता। दूसरी शेड्यूल में लिखा है कि डाइरेक्टर भी नहीं हो सकता । पहली शेड्यूल में लिखा है कि मेम्बर पार्लियामेंट डायरेक्टर हो सकता है लेकिन चेयरमेन नही हो सकता । मै आपसे कहना चाहता हू कि हमारे देश की सरकार का साफ लक्ष्य है, समाजवादी समाज का निर्माण करना । हम अपने देश में एक नया एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। हम पूंजीवाद और साम्यवाद की गुदगुदी गोदी से हट कर एक नयी दुनिया का निर्माण करना चाहते हैं जो पूजीवाद और साम्यवाद दोनों से अलग होगी और डेमोक्रेटिक सोशलिज्म जिसका आधार होगा, जिसके माध्यम से हम जनतंत्र भी इस मुल्क में कायम रखेंगे और साथ-साथ इस देश की जनता को भी जीवन की आवश्यक वस्तुएं भी प्रदान करेंगे । इसी लक्ष्य को मद्देनजर रखते हुए जहा हमने सोवियत रूस से सोशलिस्ट रिकन्स्ट्रक्शन की नीति अपनायी है आज वहां इंग्लेड और अमरीका से भी सीखा है । हम दुनिया में जहां भी जो अच्छा होगा उसको लेंगे । यही हमारा प्रयास रहा है।

पहली शेड्यूल में लिखा हुआ है कि मेम्बर पार्लियामेंट डायरेक्टर तो हो सकता है लेकिन पब्लिक अंडरटेकिंग्स का चेयरमेन नहीं हो सकता । दूसरी शेड्यूल में लिखा हुआ है कि मेम्बर पार्लियामेंट डायरेक्टर भी नही हो सकता, चेयरमेन की बात तो अलग रही । मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमने अपने देश में पब्लिक सेक्टर इकोनोमी को, कोर सेक्टर इकोनोमी को प्राथमिकता दी है। अपने मुल्क का निर्माण करने के लिए हमने हैवी इलेक्ट्रिकल्स का कारखाना लगाया है, स्टील की बेसिक इकोनोमी में दुर्गापुर, भिलाई, रूरकेला

के बड़े-बड़े कारखाने लगाए हैं, ग्राफ-शोर ग्रौर ग्रान-शोर ग्रायल एक्सप्लोरेशन का काम शुरू किया है । इसके ग्रनुसार इन बड़े-बड़े उद्योगों की कमेटियों में मेम्बर पार्लियामेंट नहीं होंगे । मैं ग्रापसे कहना चाहता हूं कि साफ तरीके से शेड्यूल ए ग्रौर शेड्यूल बी दोनों को खत्म कर देना चाहिये ग्रौर बी शेड्यूल को तो ए शेड्यूल के ग्रन्तर्गत ले ग्राना चाहिए ग्रौर मेम्बर पार्लियामेंट डायरेक्टर भी हो सकता है ग्रौर चेयरमेन भी हो सकता है, ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए ।

हमने तय किया है कि हम ग्रपने देश में गेहूं की उगाही करेंगे, फूड कारपोरेशन ग्राफ इंडिया के माध्यम से जनता में वितरण करेंगे । ग्राज क्या है, 105 रुपया क्विन्टल हम गेहूं लेंगे ग्रौर फूड कारपोरेशन ग्राफ इंडिया 140 रुपया क्विन्टल देगा यानी 35 रुपया प्रति क्विन्टल खर्चे के रूप में फूड कारपोरेशन में इस्तेमाल होगा ग्रौर जनता के प्रतिनिधि जो किसानों के बेटे हैं, जो किसान के प्रतिनिधि हैं, मेम्बर पार्लियामेंट हैं उस फूड कारपोरेशन के ग्रन्दर नहीं बैठ सकेंगे । जनता के हितों को देखना, जनता के हितों के लिए उत्पादन करना ग्रौर उस सामग्री का जनता में वितरण करना, यह हिन्दुस्तान की जनता के प्रतिनिधियों का काम है, लेकिन वर्तमान व्यवस्था के ग्रनुसार हम उस कमेटी के मेम्बर नहीं हो सकते । स्टील की ग्रडरटेकिंग्स को लीजिए । ग्राज इस देश में इतनी स्टील ग्रंडरटेकिंग्स हैं लेकिन उनकी इंस्टाल्ड केपेसिटी का 40 फीसदी से ज्यादा युटिलाइजेशन हमारे मुल्क में हो नहीं पाया है । ग्रौर करीब 60 फीसदी इंस्टाल्ड कैपेसिटी का इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है ग्रौर हम एम पीज उस के डाइरेक्टर या चैयरमैन नहीं हो सकते । स्टील ऐसा कोर सेक्टर है कि जिस के माध्यम से हमें ग्रपने देश का निर्माण करना है, लेकिन हम न उस के चेयरमैन हो सकते हैं ग्रौर न डाइरेक्टर बन सकते हैं । इसी तरह से फर्टिलाइजर कारपोरेशन ग्राफ इंडिया है । फर्टिलाइजर का संबंध खेती से है । खेती के उत्पादन को बढ़ाने के लिये फर्टीलाइजर कारपोरेशन ग्राफ इंडिया है लेकिन उस का मेम्बर कोई पार्लियामेंट का मेम्बर नहीं हो सकता । हमारे देश में फर्टिलाइजर की इंस्टाल्ड कैपेसिटी 25 लाख टन की है ग्रौर 12 लाख टन हम उत्पादन कर पा रहे हैं । 12 लाख टन हमारी इस्टाल्ड कैपेसिटी का उत्पादन नहीं हो पा रहा है । ग्रौर 13 सौ करोड रुपया प्रति वर्ष हम को विदेशों से फर्टिलाइजर मगाने के लिये खर्च करना पड़ता है, लेकिन हम उस के मेम्बर नहीं हो सकते । ग्राप जानते हैं कि कमोडिटीज बोर्ड है । देश में किसानों के खेतो में जो चीजें पैदा होती हैं ग्राज वह माटी के दाम में बिक रही हैं ग्रौर जो चीजें कारखानों में बन रही हैं वह सोने के दाम में बिक रही हैं तो कमोडिटीज बोर्ड जिस में शुगर, गेहूं ग्रौर सारी जीवन की ग्रावश्यकता की वस्तुएं ग्राती हैं उन के भाव निर्धारित करने के लिये ग्रौर उन का उत्पादन कितना हो यह तय करने के लिये या उन का वितरण किस तरह से हो इस को तय करने के लिये, निर्णय लिये जाते हैं उस बोर्ड के मेम्बर पालियामेंट के मेम्बर नहीं हो सकते । तो हमारे देश के प्रधान मंत्री ने इस देश में समाजवाद की स्थापना का लक्ष्य घोषित किया है ग्रौर लगातार इसी दिशा में हमारे देश ने कदम उठाये हैं ग्रौर ग्रभी प्रधान मंत्री जी ने 21 सूत्री कार्यक्रम के द्वारा एक नया सामाजिक ग्रौर ग्रार्थिक लक्ष्य प्राप्त करने का बीड़ा उठाया है । उस के लिये मैं तो समझता हूं कि इस देश में मेम्बर पार्लियामेंट को स्टैचेयेरी पावर्स दी जानी चाहिए । इग्लैंड की व्यवस्था ग्रलग है । वहां कमर्शियल मैनेजमेंट है जिस का ग्राब्जेक्टिव प्राफिट है । हमारे देश की सरकार का उद्देश्य है समाजवाद । हमारी जनता की ग्रावश्यकताग्रों के ग्रनुकूल उत्पादन करना ग्रौर उत्पादन कर के कितनी हमारी जनता है, कितना हमारा उत्पादन है, क्या लक्ष्य है ग्रौर उस का हम किस तरह से वितरण करेंगे, यह सब हमारी सरकार को करना है ग्रौर इसके साथ ही ग्रपने देश को शक्तिशाली बनाना ग्रौर ग्रपने मुल्क में फैली गरीब ग्रौर ग्रमीर के बीच की खाई को पाटना हमारी सरकार का उद्देश्य है ग्रौर यह उद्देश्य उस ने घोषित किया है कि उसे पूरा करना है । तो मैं मंत्री महोदया जी से निवेदन करूंगा कि जहां मैं इस बिल का समर्थन करता हूं उस के साथ ही उन से यह निवेदन भी करना चाहता हूं कि वह इस बिल को वापस लें ग्रौर शेड्यूल्ड ए ग्रौर बी के

[श्री कल्प नाथ]

ग्रदर मेम्बर पालियामेंट को न केवल डायरेक्टर बनने की बल्कि चेयरमैन ग्राफ दि डिफरेंट ग्रंडर-टेकिंग्स बनने की भी पावर दी जानी चाहिए। यह तो ग्रपने देश के नेता पर निर्भर करता है कि वह किस तरह से इस की व्यवस्था करेगी, लेकिन सवाल उठता है कि देश की व्यवस्था को समाजवादी दिशा में ले चलने के लिये हमे इस को ग्रनिवार्य रूप से करना चाहिए। ग्राप जानते है कि हमारे मुल्क में चीनी की पैदावार होती है। ग्राज चीनी के माध्यम से हमारे मुल्क में सब से ज्यादा फारेन एक्सचेज मिलता है, लेकिन एग्रीकल्चरल प्राइसेज कमीशन इस मे लिखा हुग्रा है। इस एग्रीकल्चरल प्राइसेज कमीशन का मेम्बर कोई किसान का बेटा नहीं होगा, कोई किसान गन्ने की खेती करने वाला पालियामेंट का मेम्बर नही होगा ग्रौर 8 रुपया क्विंटल इस कमीशन ने गन्ने का दाम निर्धारित किया है। किसी भी तरीके से, किसी भी स्टैंडर्ड से इस से ज्यादा किमान की लूट, इस से ज्यादा किसानों के पेट मे छुरा भोंकने का काम ग्रौर दूसरा नहीं हो सकता। आज इस कमीशन में तो किसानो के प्रतिनिधि भी बैठने चाहिए। आज जो इंडस्ट्रियल सब्जेक्ट्स के जानकार है वह इंडस्ट्रियल ग्रंडरटेकिंग्स के मेम्बर होने चाहिए। चीनी, जिस के माध्यम से ग्रपने मुल्क को ग्ररबो रुपये का फारेन एक्सचेंज मिलता है, उस के बारे में बात करते हुए मैं कहना चाहूंगा कि ग्रपने देश में ग्रगर गन्ने का दाम 16 या 20 रुपये क्विंटल हो तो इस इंडस्ट्री से सब से ज्यादा इंटरनेशनल मार्केट में हम को फारेन एक्सचेंज मिलेगा। लेकिन इस एग्रीकल्चरल प्राइसेज कमीशन में भी हमारे प्रतनिधि नही है। ग्राज 18 एकड़ की सीलिंग हम ने निर्धारित की है। हम किसानो को बिजली नही देंगे, हम किसानो को खाद नही देंगे, लेकिन 105 रुपया क्विंटल में उनका गेहूं लेंगे। मैं पूछना चाहता हूं किसी भी इकानामिक्स के प्रोफेसर से, किसी भी ग्रर्थ शास्त्री से, किसी भी खेती करने वाले से कि क्या 18 एकड़ की सीलिंग पर बिना खाद की व्यवस्था के, बिना बिजली की व्यवस्था के, बिना पानी की सुविधा के हम 105 रुपया क्विंटल के ग्राधार पर उत्पादन कर सकते हैं? इसलिये हमें इस मुल्क में एक नये समाज का निर्माण करना है, नई-व्यवस्था को बनाना है, जिसमे एक तरफ जहा मन की ग्राजादी हो, दूसरी तरफ पेट की भी ग्राजादी हो, तो हमको ग्रपने मुल्क की पब्लिक ग्रडरटेकिंग्स की कमेटी में मेम्बर पालियामेंट को ग्रनिवार्य रूप से मेम्बर बनाना चाहिए। इससे ज्यादा ग्रौर क्या गलत बात हो सकती है कि हमारे मुल्क के कोर सेक्टर ग्राफ इकानामी जो है स्टील उसमे इंस्टाल्ड कैपेसिटी का पूरा इस्तेमाल नही हो रहा है। फर्टिलाइजर मे इंस्टाल्ड कैपैसिटी का पूरा इस्तेमाल नही हो रहा है, केवल 40 परसेंट इस्तेमाल हो रहा है, स्टील मे 50 परसेंट हो रहा है इंस्टाल्ड कैपैसिटी का। तो पालियामेंट के मैम्बर ग्रगर इस ग्रंडरटेकिंग्स के मैम्बर होगे तो इन पब्लिक ग्रडरटेकिंग्ज की क्या कठिनाइयां हैं जो उनमें पैदा होंगी, क्या कारण हैं कि इंस्टाल्ड कैपैसिटी का इस्तेमाल नही हो रहा है, इनकी जानकारी पालियामेंट को उनके द्वारा होगी ग्रौर उन कठिनाइयो को दूर करने के लिये पालियामेंट प्रयत्न करेगी। यानी पालियामेंट ग्रौर उन पब्लिक ग्रडरटेकिंग्ज का रिश्ता होना चाहिए। पालियामेंट एक दर्पण के समान है, एक शीशे के समान है ग्रौर उसमें पब्लिक ग्रडरटेकिंग्स का चेहरा साफ दिखलाई देना चाहिए ग्रौर पालियामेंट को ग्रधिकार हो उसका परिमार्जन करने का, उसको रेगुलेट करने का ग्रौर उनको ठीक करने का, जनता की आशाग्रों के ग्रनुरूप उनमें उत्पादन करने का।

ग्रादरणीय उपाध्यक्ष महोदया, हमारे देश में ऐंटी-बायोटिक्स का कारपोरेशन है। ग्राज हमारे देश के ग्रन्दर जो तपेदिक की सुई है......

उप-सभाध्यक्ष (श्रीमती पूर्बी मुखोपाध्याय) : ग्राप हर एक पब्लिक ग्रंडरटेकिंग का विचार करेंगे ग्राप तो ग्रभी बिल पर विचार करेंगे। ग्रभी खत्म कीजिए।

I suppose you are not going to discuss the merits of each and every public undertaking.

श्री कल्प नाथ . लेकिन जब तक उदाहरणो के द्वारा आपके बीच मे इन चीजों को ठीक ढग से न बताया जाए, मै नहीं समझता कि इम बिल के क्या उद्देश्य हो सकते है वह बताना कठिन है। इन पब्लिक अडरटेकिग्स के जितने भी मदस्य है आज इनका रिश्ता समाजवाद से है क्योकि समाजवाद का रिश्ता देश की जनता से है। समाजवाद के द्वारा हमको जनता की रोटी, कपडा, मकान, दवाये, शिक्षा की व्यवस्था करनी है। हमको टैक्सटाइल कारपोरेशन के माध्यम से लोगो को कपडा देना है, ऐंटी बायोटिक्स कारपोरेशन के माध्यम से जनता को दवाइयां देनी है, फर्टिलाइजर के माध्यम से खाद देनी है, स्टील कारपोरेशन के माध्यम से उनको जीवन के सारी आवश्यकताये, खेती का सामान किसानो को देना है। इसलिये पार्लियामेंट के मैम्बरो को उन अडरटेकिग्ज में बैठने की स्टेच्युटरी पावर होनी चाहिए और उनकी चेयरमैनशिप और उनकी डाइरेक्टरशिप भी उनको मिलनी चाहिये। जो ए और बी शेड्यूल है इनको तोड़कर एक शैड्यूल बनाना चाहिए ताकि पार्लियामेंट के मैम्बरो और उन अंडरटैकिंग्स के रिश्ते ऐसे है जैसे शीशे और चेहरे के है। पब्लिक अडरटेकिग्स के चेहरे पार्लियामेट के शीशे म देखने का मौका हमको मिलना चाहिए ताकि हम समाजवाद के लक्ष्य को सफल बना सके। इसलिए मै मत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वह इस बिल को वापस ले।

श्री विनयकुमार रामलाल पाराशर (महाराष्ट्र) . माननीय उपाध्यक्ष महोदया, इस विषय पर तो काफी सभासदों ने अपने विचार बताये है, मुझे कुछ खास कहना नही है। दोनो शैड्यूल को पढ़कर और यह समझकर कि इसमे शायद इस हेतु से यह बिल लाया गया होगा कि एक ही आदमी अधिक सत्ता की जगहो पर न रहे, लेकिन ऐसा करते हुए उससे जो नुकसान होगा उसकी शायद थोडी कम कल्पना की गई है। दो-तीन उदाहरण आपको देना चाहता हूं। जितनी ट्रासपोर्ट अथोरिटी है वे सब फर्स्ट शेड्यूल मे ही थी उनमें से अधिकांशत साधारणत: सभी सैकिण्ड शैड्यूल मे कर दी गई हैं। इसके मायने यह होते है कि पार्लियामैन्ट के मैम्बर चेयरमैन, सेक्रेटरी या डायरैक्टर का तो सवाल ही नही वे आर्डिनेरी मैम्बर भी नहीं हो सकते हैं। मै समझता हूं यह न्यायसंगत चीज नही है। मैं ऐसा उदाहरण दूंगा जिससे ऐसा महसूस होता है जैसे शैड्यूल वन के पृष्ठ 8 पर जो "महाराष्ट्र" लिस्ट में दिया हुआ एड हौक हिन्दी बोर्ड। मेरी समझ मे नही आता ऐसी संस्था का अगर पार्लियामैन्ट का मैम्बर डायरेक्टर रहता है तो कौन सा धक्का लगता है। इसी तरह से मराठी भाषा मे स्कूल बुक्स कमेटी है, उसमे भी पार्लियामेंट के मैम्बर को रखने में क्या परेशानी होती है मुझे समझ नही आता। इसके अलावा खासतौर से जो दो चीजें कही गई है, एक तो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के लिये प्राइस फिक्स करने की बात है इसमें सबसे बड़ा अन्याय होता है जो कि हमारे देश की इकोनोमी का आधार है। जो बेस है वहां से ही पब्लिक रिप्रेन्टेटिव को, जन-प्रतिनिधि को दूर कर देना मुनासिब नही है। मै समझता हूं इस संबंध में बहुत ज्यादा न कह कर जैसा अभी अन्य मित्रो ने कहा उसी तरह से मै भी यह कहूगा कि इसके ऊपर फिर से विचार किया जाये, फिर से सोचा जाये। शायद कही पर हम गलती कर रहे है जिसकी वजह से पब्लिक के, जनता के प्रतिनिधि वंचित किये जा रहे है। मै अंत में कहना चाहता हूं कि जो जड़ है जहां से गडबड़िया शुरू होती है, जहां से आर्थिक व्यवस्था का उत्थान होता है, जहां से आर्थिक व्यवस्था ऊंची उठती है उन जगहो पर अगर पब्लिक रेप्रजैन्टेटिव नही रहेगे तो खतरे भी पैदा हो सकते हैं इसलिये मै कहूगा कि इस बिल पर पुन: विचार किया जाय। इतना ही कह कर मैं अपना स्थान लेता हू।

SHRI N. K. BHATT (Madhya Pradesh): Madam Vice-Chairman, a great deal of observations have been made on this Bill by several hon. Members of this House. The consensus seems that most of the hon. Members do not favour the Bill in its form as presented before this House. It seems that probably the purpose which might have been before the Government while introducing this Bill has shot off its mark.

[Shri N. K. Bhatt]

After independence we pledged ourselves to planned economic development. We have set mixed economy as our *modus operandi.* In this task, the basic industries which are necessary for the development of the country, like steel and coal are mostly in the public sector. Now, after bringing all these basic industries in the public sector, it is an irony that people's representatives who know their subject and who are conversant with the subject are kept out of it.

Madam Vice-Chairman, before becoming a Member of this hon. House, I was associated with some of the public sector organisations as a member on their Boards of Directors and in that capacity I had the occasion to go into the various aspects of the undertakings I was representing. While I was there, because of our involvement, because we were concerned very much with the betterment of those undertakings, we could show how wasteful expenditure could be avoided, we could show how corruption could be rooted out, we could show how discipline could be enforced. As a result of our combined efforts those undertakings could be brought into profitability although they were formerly running into loss.

Now it is very strange, when I became Member of Parliament, I had to resign from the membership of Board of Directors and I was told that it was not possible for a Member of Parliament to be on the Board of Directors or to be associated with the public sector organisations. When I enquired as to what was the reason, I was told that there was a Committee known as the Krishna Menon Committee which in its wisdom among others also recommended that the Members of Parliament should not be associated or should not serve on the Boards of public sector organisations. Madam Vice-Chairman, I have no intention to challenge the wisdom of that body which prepared that report but as one who is very much conversant with and very much involved in the betterment of the public sector organisations, I felt that this was a direct hit, as if there was a calculated approach to keep the people's representatives, i.e. the Members of Parliament, away from these public sector organisations. What has happened? We have seen during the years gone by that in the public sector organisations with which representatives of the people are not connected, in their functioning, there have been cases of corruption, rank indiscipline, top heavy load of bureaucracy and all this led to such a position that this august House was required to go deep into the working of the organisations. For that purpose, Public Sector Undertakings Committee of the Parliament was set up. Madam, I am one of those who have been associated with the Public Sector Undertakings Committee. We found the lapses and the shortcomings in the working of the various public sector organisations. Of course, when we examined there was no *mala fide.* We did not have any ill will against anybody but we found that most of those organisations were laden with officers who had neither experience about the commercial aspect of these organisations nor had they any involvement. These are the basic things which are very necessary. A great deal is spoken about the capitalists and private industries. A question is always asked: How is it that these private sector undertakings make profits? The difference is that the owners of these private undertakings, whosoever they may be, put their entire stake while in the public sector organisations, whether it is the HEL Bhopal or the National Coal Development Corporation or for that matter the Food Corporation of India, all those who were heading these organisations had neither any stake nor any involvement in the organisation. In the case of peoples' representatives, especially Members of Parliament, we have committed objectives, we are here to serve the objectives of socialism, we are here to implement the 20-point programme placed before the country by the Prime Minister and to which there is also a demand that we should be given statutory powers to see that programme is implemented. Why has this question come up? The same is the answer for the public sector organisations. If the Members of Parliament can safeguard the interests of the country, if they can be here as representatives of

people, why are they being debarred from serving on those organisations. I was expecting that while introducing this Bill the hon. Minister would come forward with this recommendation that till now there was a mistake as a result of the recommendation of the Krishna Menon Committee's report, that the Members of Parliament were debarred, were kept aside in their association with the public sector undertakings and now we are coming before the Parliament to seek approval so that Members of Parliament who are people's representatives can serve on those bodies and safeguard the interests of the community. In the public sector undertakings whatever capital is involved it is the people's money So, when people's money is there when people's capital is there what prevents people's representatives to be associated and to serve on those bodies ?

Madam, Vice-Chairman, these are the feelings which have been amply voiced by previous illustrious predecessor. I for one have been associated in my capacity as a trade unionist with workers before I became a Member of Parliament, and afterwards I have been associated with the Public Sector Underakings Committee. It has been my firm belief—and I am fully convinced—that Members of Parliament must be associated with, and must be put on, these public sector undertakings.

Now, when we go through this Bill, we find that obviously there is a discrimination. In Schedule I, the Members of Parliament can be associated with the public sector undertakings, but in Schedule II they are kept out. I cannot understand why this discrimination should be made. I strongly feel that Schedule II should be abolished altogether and merged into Schedule I so that the Members of Parliament can be on the Boards without any disqualification because if the Members of Parliament are not supposed to qualify themselves to serve on these undertakings, I am afraid then none else can be qualified. This I am saying after our declared objective that we want to have complete control on the basic industries so that they can give a lead. We have seen by experience—either you take nationalisation of coal industry, or you take nationalisation of textile industry—there is a calculated, well planned conspiracy in this country to see that in public sector we do not succeed. What has happened in coal industry? The previous coal-owners in league with the contractors and in league with the vested interests, have tried to see that we do not succeed in coal nationalisation. In every mine, at every pit head, there is a gang of people who are out to see that whatever we could do is not done. So there is a conspiracy between the erstwhile owners and people with vested interests. By this Bill it seems that we are strengthening their hands. What was expected of the Hon'ble Minister was that the shortcomings which dwelled as a result of the recommendations of the Krishna Menon Committee were removed, and with this Bill the Members of Parliament were given an opportunity to serve there because they are the people who are involved, they are the people who are committed, they are the people who come and sit here to safeguard and protect the interests of the people and see that the country marches ahead towards the goal of socialism, where the difference between the rich and the poor is abolished and we succeed in creating a society where there will not be any amount of exploitation and everybody will get an opportunity to go ahead to the extent one can. But with this Bill we feel rather disappointed. I would request, through you, Madam Vice-Chairman, the hon'ble Minister to give a second thought and come again before this House with this Bill because it needs that if it has to come, it should come in another form. where Schedule II is completely abolished and merged into Schedule I and a review is given so that the Members of Parliament can be made Chairman of organisations like the Dock Labour Board, the Employees' State Insurance Corporation etc. If the Members of Parliament are kept away from these organisations, I am afraid the interests which the Government and the Parliament, have to serve will be completely set aside.

I do not want to say that I am opposing the Bill. But I would only like to appeal the hon. Minister to give a second thought

[Shri N. K. Bhatt]

to this question and come foaward before this house again taking into consideration the views expressed by my previous speakers and the views which I have expressed.

With these words, I thank you for the opportunity given to me.

SHRI BRAHMANANDA PANDA (Orissa) : Madam Vice-Chairman, by this time, I think, we know already the views of the House. I do not blame the Minister because this Bill had to come. It has been pressed that this Bill should come. But the discrimination shown in the Schedules will practically defeat the purpose of this Bill. If we have to reach our goals and objectives as enunciated lately by the Prime Minister's declaration of the economic programme, people's involvement at every stage will be necessary and if the people's representatives are taken out, who will watch the people's interests there ? whether it is the Coalmines Board or any board, if people's representatives do not sit there along with other Directors and bureaucrats, the political outlook of the country will not be reflected in their work. That is exactly what I wanted to emphasise. The political outlook of the nation has to be reflected in its economic policies so that we can build up a future which we aim at and only then the social objectives which we have in view, can be in our hands. This is a very difficult position. The Bill is introduced already and we are discussing it. I request the Minister only for one thing that it will be better if it is refer red back to the Joint Committee again and an adequate comprehensive Bill keeping in view our political outlook and our political philosophy, is brought before the House so that it will be acceptable to all sections of the House. Thank you.

SHRI D. D. PURI (Haryana) : Madam, I will not repeat the points that have been so elaborately made and I think there is complete unanimity in this House in so far as this Bill is concerned.

Madam, the current session of the legislature, this House as well as the other House, has discused the 20-point programme given to the country by the Prime Minister and the historic message that we are carrying as soon as this session is over, when we go to our constituencies and to our States and into more important sessions that we face when we address public meetings, is the implementation of this programme by means of greater and greater involvement. The one historic message that has been given to the members of the legislatures in this important session is the involvement of the people through their chosen representatives, not in the formulation of the programme but in the implementation of the programme. I do not want to go into the lists or into the details here. All I would say is that this 20-point programme is not an end unto itself. That is a beginning. That is a first step. We may be involved in 200-point programme or 300-point programme. This is just the beginning. But the most important thing is that we have laid down these points before but there has been a serious gap in the implementation and for the implementation, we, the chosen representatives of the people have to get involved deeper and deeper as the time passes. All I would say is that in this Bill that has been brought up, the Parliament Prevention of Disqualification) Amendment Bill, 1974, there should be only one criterion, that is, you exclude only the whole-time posts where people are paid to work whole time. Let the Members of Parliament be excluded from those posts but you involve them in everything else. I do not want to go into details. This is the sole criterion that I wish to lay when this Bill is drawn up Now, Madam, public sector plays an increasingly important role in the economic life of the country and as time passes, it will play even more important role. Now to exclude the members, the chosen representatives of th people from the membership of the Board of Directors of the public undertakings will be out of tune. I think the entire Bill is out of tune—with the current thinking as it evolves particularly from this historic session of Parliament. I, therefore, Madam, with your permission, beg to move :

"That further consideration of the Parliament (Prevention of Disqualifica-

tion) Amendment Bill 1974, be adjourned."

The question was proposed.

DR. (SMT.)SAROJINI MAHISHI : Before considering this, I would like to read out a paragraph from the Joint Committee's Report for the information of Members. I would like to tell them that there is a Joint Standing Committee consisting of ten Members from Lok Sabha and five Members from the Rajya Sabha. I shall read out the names of the Members. They are :—

Lok Sabha

1. Shri S. B. P. Pattabhi Rama Rao—Chairman.
2. Shri Chandrika Prasad.
3. Shri Somnath Chatterjee.
4. Shri Jagannathrao Joshi.
5. Shri Z. M. Kahandole.
6. Shri Pratap Singh.
7. Shri Ramji Ram.
8. Shri Arjun Sethi.
9. Shri Ramavatar Shastri.
10. Shri Ram Shekhar Prasad Singh.

Rajya Sabha

11. Shri Vithal Gadgil.
12. Shri N. M. Kamble.
13. Shri A. K. Refaye.
14. Shri Venilgalla Satyanarayana.
15. Shri Yogendra Sharma.

For the information of Members, the Standing Committee has reported this and I shall just read out a small paragraph:—

"The Committee feel that the existing scheme of the schedule to the Draft Bill will not meet the requirements of the recommendations referred to in paras 23 and 24 *ante*. In their view, to give proper effect to the recommendations referred to in those paragraphs, there should either be two separate schedules or two distinct parts of one schedule—one enumerating the bodies, the chairmanship and secretaryship of which are sought to be excluded from exemption from disqualification and the other enumerating the bodies the chairmanship, secretaryship as well as directorship/membership of which are sought to be excluded from exemption from disqualification. The Committee, therefore, recommend that the Schedule to the Draft Bill be re-arranged on the above lines."

This was the recommendation made by the Committee. This is only for the information of Members.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI PURABI MUKHOPADHYAY) : The question is :

"That further consideration of the Parliament (Prevention of Disqualification) Amendment Bill, 1974 be adjourned."

The motion was adopted.

MESSAGE FROM THE LOK SABHA

The Indian Coinage (Amendment) Bill, 1975

SECRETARY-GENERAL : Madam, I have to report to the House the following message received from the Lok Sabha signed by the Secretary-General of the Lok Sabha :

"In accordance with the provisions of Rule 96 of the Rules of Procedure and conduct of Business in Lok Sabha. I am directed to enclose herewith the Indian Coinage (Amendment) Bill, 1975, as passed by Lok Sabha at its sitting held on the 5th August 1975."

Madam, I lay the Bill on the Table.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI PURABI MUKHAPADHYAY) : There is no other business before the House. The House stands adjourned till 11 a.m. tomorrow.

The House then adjourned at thirtynine minutes past three of the clock till eleven of the clock on Wednesday, the 6th August, 1975.

MGIPRRND—V—Day—31 RSS/75—8-9-75—595